न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा म०प्र०

540

निगरानी प्रकरण क्र० /2014

30
26.4.14

R-2104-II/14 Rs. 15/-

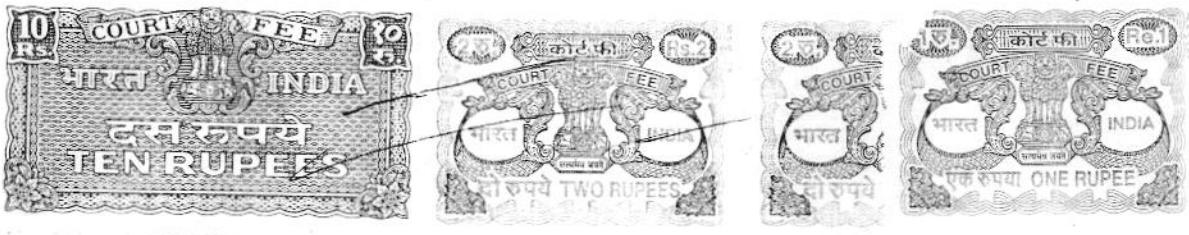

1- रामसुवन शुक्ला तनय

2- सुखऊ राम शुक्ला

3- आशीष शुक्ला

तनय रामसुवन निवासीगण ग्राम कौआ तह० मानपुर, जिला उमरिया म०प्र०

---------- आवेदकगण

रजनीश मिश्रा एड० के
आज दिनांक 26.4.14 को
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

म०प्र० शासन राज्य ---------- अनावेदक

ग्राह्यता हेतु
7.7.14

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कले० उमरिया जिला उमरिया दिनांक 16-1-14 बावत प्रकरण क्र० 38 / स्व० निग०/ 13-14

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवम प्रक्रिया के विपरीत है।

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालय मे मामला प्रारम्भ होने के पूर्व से अधीनस्थ न्यायालय को मालूम था कि चम्पाबाई जिसके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-2104-दो/2014

जिला-उमरिया

रामसुवन शुक्ला विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन राज्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। 3. यह निगरानी अपर कलेक्टर अनूपपुर, जिला- अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक- 38/ स्व.निगरानी/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16-01-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक ~~07-07-2014~~ 26.04.2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 22/01/19
सदस्य